संख्या- 245 /2025/ 1621 /चार-2025-1901893

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 10 जून, 2025**

विषय:- दिनांक 26 फरवरी से 02 मार्च, 2025 की अवधि में राष्ट्रीय रामायण मेला, चित्रकूट में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु कार्योत्तर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 389/सं0नि0-15(123)/2024-25, दिनांक 14 मई, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि निदेशालय के पत्र संख्या- 5357/ /सं0नि0-15(123)/2024-25 दिनांक 14.02.2025 द्वारा दिनांक 26 फरवरी से 02 मार्च, 2025 की अवधि में राष्ट्रीय रामायण मेला के आयोजन के अवसर पर चित्रकूट धाम, चित्रकूट में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया गया था परन्तु शासन से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण संबंधित कलाकारों को भुगतान नहीं हो सका। उक्त के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष में प्रश्नगत कार्य हेतु कार्योत्तर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. अवगत कराना है कि संस्कृति निदेशालय के पत्र संख्या- 5357/ /सं0नि0-15(123)/2024-25 दिनांक 14.02.2025 के माध्यम से निम्नवत् कार्यक्रम कराये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है:-

क्र०	दिनांक	कलाकार का नाम	विधा	मानदेय
1.	26.02.2025	सुश्री जया अरोड़ा, लखनऊ	भजन एवं लोक गायन	48,000.00
2.	27.02.2025	सुश्री ललिता मिश्रा, लखनऊ	भजन एवं लोक गायन	48,000.00
3.	28.02.2025	डा0 विनीता सिंह, लखनऊ	भजन गायन	52,000.00
4.	01.03.2025	श्री प्रवीन सिंह, कानपुर	भजन गायन	49,000.00
5.	02.03.2025	सुश्री पूर्णिमा, प्रयागराज	ढेढिया नृत्य/ अन्य लोक नृत्य	49,000.00
			योग (रू0 दो लाख छियालिस हजार मात्र)	2,46,000.00

3. उक्त प्रस्ताव के क्रम में शासनादेश संख्या- 74 /2025/ 637/चार-2025-1901893 दिनांक 21 फरवरी, 2025 द्वारा दिनांक 26 फरवरी से 02 मार्च, 2025 की अवधि में राष्ट्रीय रामायण मेला, चित्रकूट में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु रू0 2.46 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

4. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गत वित्तीय वर्ष 2024-25 दिनांक 26 फरवरी से 02 मार्च, 2025 की अवधि में राष्ट्रीय रामायण मेला, चित्रकूट में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक **शासनादेश संख्या- 74 /2025/ 637/चार-2025-1901893 दिनांक 21 फरवरी, 2025 को निरस्त किया जाता है** तथा चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक 26 फरवरी से 02 मार्च, 2025 की अवधि में राष्ट्रीय रामायण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

मेला, चित्रकूट में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु **रू0 2.46 लाख (रूपये दो लाख छियालीस हजार मात्र)** की कार्योत्तर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
(3) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।
(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।
(5) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।
(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।
(8) संबंधित संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि को संस्थान के बैंक खाते में समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।
(9) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
(10) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-102-कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन-19- विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन-42-अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।

6. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।